तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25-6-18	पत्रावली न्याय आपके द्वार। कैम्प कोर्ट भमाना में अटल सेवा केन्द्र पर प्रस्तुत हुई। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मे वर्णित किया है कि उन्होने एक घोषणा का वाद उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। तथा वादग्रस्त भूमि पर वे पिछले 40 वर्षो से काबिज काश्त है। अप्रार्थी का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा है। तथा अप्रार्थी उक्त भूमि को बेचना चाह रहे है। अप्रार्थी पालुम्बरी में निवास नही करते है, तथा नागौर में किसी गांव के निवासी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थियो को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की वे प्रार्थीयों को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नही करे, खेती करने में बाधा उत्पन्न नही करे नाही अन्य से करावे। तथा नही विक्रय विलेख पंजीयन करावे। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। भूमिधारी के जवाब का भी अवलोकन किया। तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.1.17 को दर्ज किया गया है। तथा उक्त के पश्चात लगभग डेढ वर्ष बित चुके है। भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थियो के नाम गैर खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है। तथा गैर खातेदार को अपनी भूमि को बेचने के अधिकार नही होते है। भूमि कभी भी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं रहे है।

नम्बर व तारीख अहक[ाम] जो इस हुक्म की ता[मील] में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख [अहकाम] जो इस हुक्म की [तामील] में जारी हु[ए]
		निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। अतः प्रार्थीयो का ~~पर्याप्त आधारों पर आधारित~~ प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधारों पर आधारित नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा	